गोधरा इलेक्ट्रीसिटी कं. लिमिटेड, अहमदाबाद

बनाम

आयकर आयुक्त, गुजरात-॥, अहमदाबाद अप्रैल 3, 1997

[एस. सी. अग्रवाल और जी. बी. पटनायक, जे. जे.] आयकर अधिनियम. 1961:

आयकर नियम 1969-70 से 1972-73 तक-आय का संचय-लेखा की वाणिज्यिक प्रणाली, वियुत अधिनियम के तहत एक लाइसेंसधारी-उत्पादित और आपूर्ति की गई बिजली-आपूर्ति के लिए शुल्क बढ़ाया गया था लेकिन वृद्धि के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे लंबित होने के कारण निर्धारित आरोपों में उसी की वसूली करने मे असमर्थ रहा। मुकदमा अंततः निर्धारित के पक्ष मे समाप्त हो गया लेकिन उसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने निर्धारिती को सुझााव दिया कि छह महीने के लिए दरोंं के लिए यथास्थिति बनाए रखें-उक्त छह महीने की समाप्ति से पहले, उपभोक्ता ने फिर से बढे हुए शुल्क की वसूली के लिए निर्धारित के अधिकार को चुनौती दी-वसूली पर रोक लगा दी गई और उपभोक्ता मुकदमा दायर करें।

आदेशित-उक्त उपभोक्ता के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निर्धारिती-कम्पनी को भारत रक्षा नियमों के तहत राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया गया और बाद में राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तांतिरत कर दिया गया-आयोजितः संचय वास्तविक आय होनी चाहिए न कि काल्पनिक आय-ऐसी परिस्थितियों में, भले ही निर्धारिती ने लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन किया और बढ़े हुए शुल्कों के बारे में पुस्तकों में प्रविष्टियां की थीं, इसमें कोई वास्तविक आय अर्जित नहीं हुई थी और प्रविष्टियां केवल काल्पनिक आय का प्रतिनिधित्व करती थीं-इसलिए, शामिल नहीं की जा सकती थीं।

निर्धारिती की कुल आय में-वियुत अधिनियम, 1910-वियुत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948-भारत की रक्षा नियम, 1971। आयकर-लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली आय का संचय-वास्तविक या काल्पनिक निर्धारित करने के लिए परीक्षण किया गया जिसमे वास्तविक आय का कोई संचय नही हुआ।अपीलार्थी-निर्धारिती बिजली अधिनियम, 1910 के तहत बिजली का उत्पादन और आपूर्ति करने वाला एक लाइसेंसधारी था। निर्धारिती ने बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क बडाया लेकिन शुल्क में वृद्धि के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मुकदमा लंबित होने के कारण, वह इसे वसूलने में असमर्थ था। मुकदमा अंततः निर्धारिती के पक्ष में समाप्त हो गया लेकिन तुरंत इसके बाद राज्य सराकर के अधीन सचिव ने निर्धारिती को छह महीने के लिए दरो पर यथास्थित बनाए रखने का सुझाव दिया। छः महिने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, उपभोक्ताओं ने बढ़े हए

परिवर्तनों को पुनर्प्राप्ति करेन की निर्धारिती के अधिकार को फिर से चुनाैती दी। वस्ती पर रोक लगा दी गई और अंततः उपभोक्ता के मुकदमें का फैसला सुनाया गया। उक्त मुकदमें के लिम्बत रहने के दौरान, निर्धारिती-कंपनी को भारत रक्षा नियम, 1971 के तहत राज्य सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया और बाद मे राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तांतरित किया गया। निर्धारिती लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन कर रहा था और उसने उपभोक्ताओं को की गई आपूर्ति के लिए बढ़े हुए शुल्क के संबंध में पुस्तकों मे प्रविषिटया की थी।

निर्धारण वर्ष 1969-70 से 1972-73 के लिए आयकर अधिकारी (आई. टी. ओ.) ने बड़े हुए शुल्क को शामिल किया, हालांकि उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किए गए, परतुं निर्धारिती की आयकर आय से वसूल किए गए। इस तरह के आईटीओ द्वारा किया गया उक्त जोड़ अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा हटा दिया गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि बढ़े हुए शुल्क केवल काल्पनिक आय का प्रतिनिधित्व करते थे, ओर आय का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जो वास्तव में प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान निर्धारिती को अर्जित किया था, और इसलिए बढ़े हुए शुल्क कर योग्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। निर्धारिती की आय, उच्च न्यायालय राजस्व द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया। इसलिए यह अपील की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

अभीनिर्धारितः 1.1 आयकर अधिनीयम 1961 के तहत कर योग्य आय वह आय है जो उस वर्ष से सम्बधींत पिछले वर्ष भारत मे प्राप्त हुई या प्राप्त मानी जाती है। एेसे वर्ष के दौरान भारत मे अजित या उत्पन्न होता है एेसी आय की गणना निर्धारिती नियमीत रूप से अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्वति के अनुसार की जानी है। यह या तो नकदी प्रणाली हो सकती है जहां प्रविषिटया वास्तविक आउटगोंइग या संवितरण के आधार पर की जाती है या यह व्यापारिक प्रणाली हो सकती है जहां प्रविषिटया प्राेवद्वन के आधार पर की जाती है, यानी भुगतान प्राप्त करने का अधिकार और वितरण या भुगतान करने के दायित्व का सचंय। यह सिद्वातं इस तथ्य की परवाह किये बिना लाग् होता है कि खाते नकद प्रणाली पर रखे जाते है या व्यापारिक प्रणाली के तहत। यदि खाते व्यापारिक प्रणाली के तहत रखे जाते हे तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह कहा जा सकता है कि आय वास्तव में निर्धारिती कम्पनी को अजित हुई है [550 -डी-ई, एच]

सीआईटी बनाम शूरजी वल्लभदास एंड कंपनी, (1962) 46 आई. टी. आर. 144; सी. आई. टी. बनाम बिड़ला प्रा. लि.(1973) 89 आई. टी. आर. 266 और पूना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम इओर (पी) आईटी, (1965) 57 आईटीआर 521, पर निर्भर था। एच. एम. काशीपारेख एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1960) 39 आई. टी. आर. 706 (बम), स्वीकृत किया गया।

मोरवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1971) 82 आई. टी. आर. 835, संदर्भित।

- 1.2. भले ही निर्धारिती-कंपनी लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन कर रही थी। ओर उसने उपभोक्ताओं को की गई आपूर्ति के लिए बड़े हुए शुल्कों के सम्बधं में पुस्तकों में प्रविषिटया की थी लेकिन उन बढ़े हुए शुल्कों के संबंध में निर्धारिती कम्पनी को कोई वास्तविक आय अर्जित नहीं हुई थी। निर्धारिती कम्पनी द्वारा शुल्क बढाने का निर्णय लेने के बाद, राज्य सरकार के अधीन सचिव के पत्र के बाद उपभाेक्ताओं के पहले के प्रतिनिधी मुकदमों के लिम्बत होने के कारण यह बड़े हुए शुल्क का एहसास करने में सक्षम नहीं था। [553 -ए, ई] स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम। सी. आई. टी., (1986) 158 आई. टी. आर. 102 पर निर्भर था।
- 2. यह सच है कि राज्य सरकार के अधीन सचिव द्वारा निर्धारिती कंपनी को संबोधित पत्र का कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रभाव नहीं था, लेकिन किसी को व्यावहारिक दृष्टिकोण से चीजो को देखना होगा। निर्धारिती कंपनी, एक लाइसेंसधारी होने के नाते, राज्य सरकार के निर्देश की अनदेखी नहीं कर सकती थी, जो एक सलाह के रूप मे दी गई थी। जिसके तहत निर्धारिती-कंपनी को कम से कम छह माह तक यथास्थित बनाए रखने

और कोई कदम नहीं उठाने के लिए कहा गया था। इस अविध के दौरान उपभोक्ताओं से बड़े हुए शुल्क की बकाया कि वस्ती की जाएगी। छह महीने की अविध पुरी होने से पहले उपभोक्ताओं द्वारा अगला मुकदमा दायर किया गया था। और उक्त मुकदमें के लिम्बत रहने के दौरान निर्धारिती पनी का उपक्रम राज्य सरकार द्वारा भारत की रक्षा नियम 1971 के तहत अपने कब्जे में ले लिया गया था और बाद में इसे राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया और परिणाम स्वरूप निर्धारिती-कंपनी बढ़े हुए शुल्क की वस्ती के लिए कदम उठाने की स्थिति में नहीं थी।[553-जी-एच, 554-ए-बी]

आर. बी. जोधा मल कुठियाला बनाम सीआईटी।(1971) 82 आई. टी. आर. 570 पर निर्भर।

जिंदास ऑयल मिल एंड अन्य बनाम गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कं., [1969] 3 एससीआर 836, संदर्भित किया गया।

3. सवाल यह है कि क्या आपूर्ति के लिए बढ़े हुए शुल्क के संबंध में निर्धारिती कम्पनी को आय का वास्तविक संचय था, संभावना या असंभवता को लेते हुए बिजली पर विचार करना होगा। यदि इस मामले पर इस संदर्भ में विचार किया जाए, तो यह मानना संभव नहीं है कि बिजली की आपूर्ति के लिए बढ़े हुए शुल्क के संबंध में निर्धारिती-कंपनी को आय का वास्तविक संचय हुआ था, जिसे आयकर अधिकारी ने मुल्याकंन आदेश

पारित करते समय जोड़ा था। विचाराधीन मूल्यांकन वर्षों के संबंध में आयकर अधिकारी द्वारा किये गए उक्त जोड को हटाने में अपीलीय सहायक आयुक्त सही थे और न्यायाधिकरण ने सही माना था कि निर्धारिती कंपनी द्वारा की गई बढ़ी हुई दरों पर दावा, जिसके आधार पर आवश्यक प्रविष्टियाँ की गई थीं, केवल काल्पनिक थीं।

आय और आयकर अधिकारी द्वारा कर में लाई गई विवादित राशि उस आय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है जो वास्तव में प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान निर्धारिती-कंपनी को अर्जित हुई थी। [554 -एफ-एच]

सिविल अपीलीय न्याय क्षेत्रः सिविल अपील संख्या 1983 के 5638 से 5640 तक।

गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री दिनांक 24/25.2.82 से आई. टी. आर. सं. 288/75, 73/78 और 1978 का 171

एस. गणेश, यू. ए.राणा, राजीव त्यागी और सुब्रमण्यम लांट अपीलार्थी की तरफ से।

सुश्री लक्ष्मी लयंगर, सी. राधा कृष्णन और बी. के. प्रसाद प्रत्यर्थी की तरफ से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया। एस. सी. अग्रवाल, जे.: यह अपीले आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'के रूप में संदर्भित अधिनियम '), की धारा 261 के तहत दिये गए प्रमाण पत्र, गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, (इसके बाद 'के रूप में संदर्भित अधिनियम'), आयकर संदर्भ सं. 288 1975 का, 1978 का 73 और 1978 का 171 में गुजरात उच्च न्यायालय के 24, 25 फरवरी 1982 के फैसले के खिलाफ, इसके बाद 'सहायक-कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया है। 288 1975 का, 1978 का 73 और 1978 का 171। निर्धारण वर्ष 1969-70 से संबंधित 1975 की आयकर संदर्भ संख्या 288, जबिक निर्धारण वर्ष 1969-70 से संबंधित 1978 की आयकर संदर्भ संख्या 73 और निर्धारण वर्ष 1972-73 से संबंधित 1978 की आयकर संदर्भ संख्या 71 से संबंधित है।

19 नवंबर, 1922 को तत्कालीन बाॅम्बे सरकार ने गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को मंजूरी दी। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के तहत लेडी सुलोचना चिनूब है एंड कंपनी गोधरा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली पैदा करने और आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत कम्पनी है। निर्धारिती-कंपनी उक्त लाइसेंसधारी की उत्तराधिकारी है। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 57 (2) के तहत गठित मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने 1 फरवरी, 1952 बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क तय किया था। 1956 में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के संशोधन के बाद निर्धारिती-कंपनी ने 1 जनवरी, 1963 से प्रेरक शिक

आपुर्ति के लिए शुल्क बढाकर 35 एन. पी. प्रति इकाई कर दिया था। प्रत्येक स्थापना के लिए 71 रूपये प्रति माह और उसके कुछ महीनों बाद 22 जून, 1963 को निर्धारिती-कंपनी ने रोशनी और पखों के लिए आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दरों को 70 एन. पी. तक बढा दिया। प्रति इकाई न्यूनतम रु 5, 1 जुलाई, 1963 से प्रत्येक स्थापना में प्रभावी किया गया था । प्रेरक शक्ति की आपूर्ति के साथ-साथ रोशनी और पंखों के लिए बिजली की दरों में इस एकतरफा वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं द्वारा दो प्रतिनिधि मुकदमों की स्थापना की गई (1963 का सिविल मुकदमा संख्या 152 और 1964 का 50) गोधरा में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) की अदालत में जिसमें निर्धारिती-कंपनी के प्रेरक शक्ति और रोशनी और पखों के सम्बधं मे एकतरफा शुल्क बढाने के अधिकार को चुनौती दी गई थी। उक्त मुकदमों का फैसला निचली अदालत ने उपभोक्ताओं के पक्ष में किया था और सहायक न्यायाधीश, गोधरा में पंचमहल द्वारा अपील में निचली अदालत के आदेश की पृष्टि की गई थी।

निर्धारिती-कंपनी द्वारा दायर की गई दुसरी अपील को 11 अप्रैल, 1966 को गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था, लेकिन निर्धारिती कम्पनी द्वारा दायर की गई पेटेंट अपील्स (एल. पी. ए. एस. नं. 42 और 43, 1966) निर्धारिती द्वारा दाखिल किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय के खिलाफ कंपनी को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांकित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी। 3

दिसंबर, 1968 और कॉन द्वारा दायर दोनों प्रतिनिधि मुकदमे को बर्खास्त कर दिया गया। यह माना गया था कि बिजली (आपूर्ति) के तहत अधिनियम, 1948, जैसा कि 1956 में संशोधित किया गया था, निर्धारिती-कंपनी को उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन एकपक्षीय रूप से शुल्क बढ़ाने का अधिकार था। गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उक्त फैसले की पृष्टि इस न्यायालय ने फैसले द्वारा की थी। 26 फरवरी, 1969 को जिंदास ऑयल मिल बनाम गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कं., [1969] 3 एससीआर 836 । इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विभिन्न न्यायालयों में निर्धारिती-कंपनी उपभोक्ताओं से निहित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी, पर इस न्यायालय के निर्णय के बाद;

26 फरवरी, 1969 को गोधरा के कुछ नागरिकों ने गुजरात सरकार के उद्योग, खान और बिजली मंत्री से मुलाकात की, तािक उन्हें हस्तक्षेप करने और उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई दरों की वस्त्रने से रोकने के लिए निर्धारिती-कंपनी पर प्रतिबंध लगाने हेतु राजी किया जा सके।इसके बाद गुजरात सरकार के उद्योग, खान और बिजली विभाग के अधीन सचिव ने 19 मार्च को सुझाव दिया गया था कि कंपनी को सम्बंधित उपभोक्ताओं के लिए यथास्थित बनाए रखने और मौजूदा स्ट्रीट लाइट समझौते को कम से कम छः साल तक जारी रखने की सलाह दी जा सकती है। मुख्य विद्युत निरीक्षक से अनुरोध किया गया था कि वे वर्ष दर वर्ष निर्धारिती-कम्पनी

के खातों जांच करे और निर्धारिती-कंपनी द्वारा अर्जित उचित रिटर्न के बारे में सरकार को वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट सरकार को दें। 16 मई, 1969 को कुछ उपभोक्ताओं ने गोधरा मे सिविल जज (जुनियर डिवीजन) की अदालत में निर्धारिती-कंपनी के खिलाफ एक ओर प्रतिनिधि मुकदमा दायर किया जिसमे निर्धारिती-कंपनी के वसूली के अधिकार को चुनौती दी गई। बडी हुई दरों पर उपभाेग शुल्क वसूल करें। उक्त मुकदमा में यह दावा किया गया था कि इस न्यायालय का निर्णय केवल अकादमिक हित का था क्योंकि अप्रैल 1965 में, निर्धारिती-कंपनी ने गुजरात बिजली बोर्ड से 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली थोक में खरीदारी करना शुरू कर दिया था और उसे काम करना पडा। गुजरात बिजली बोर्ड को केवल वितरण एजेंसी के रूप में काम करना और शुल्क एकत्र करना था कित्ं विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं करना था और निर्धारिती-कंपनी अधिक मुनाफा कमाती थी, भले ही वह 31 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली की आपूर्ति करती थी एवं उचित रिटर्न भी करती थी। निचली अदालत द्वारा एक अंतरिम निषेधाजा दी गई थी। निर्धारिती-कम्पनी द्वारा एक लिखित बयान दाखिल किया गया था एवं उक्त मुकदमे का विरोध किया लेकिन जब मुकदमा सुनवाई के लिए आया तो साक्ष्य से उपभोक्ताओं की ओर से प्रस्तुत सबूतो को खिंडत करने के लिए साक्ष्य को इस्तेमाल नहीं किया गया।उपभाेक्तओं के बाद से निर्धारिती-कम्पनी का उपक्रम गोधरा कलेक्टर के अधीन था।निर्धारिती-कम्पनी की ओर से पेश होने वाले वकील को कोई निर्देश नही दिये,

परिणाम स्वरूप कंपनी ने उक्त वकील ने कोई निर्देश नहीं दिया। सिविल न्यायाधीश द्वारा उनके द्वारा 20 जून, 1974 को उपभोक्ताओं के पक्ष में मुकदमा दायर किया गया एवं फैसला सुनाया गया, इस आशय की घोषणा की गई कि निर्धारिती-कंपनी 31 एन. पी. से अधिक शुल्क की वसूली नहीं करेगी। 20 जून, 1974 का निर्णय और इस आशय की घोषणा की गई कि निर्धारिती-कंपनी 31 एन. पी. से अधिक शुल्क की वसूली नहीं करेगी। रोशनी और पंखों के लिए प्रति इकाई और 20 एन. पी. प्रेरक शक्ति के लिए प्रति इकाई। जिन पर संबंध विच्छेदन या संबंध विच्छेदक के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी।यह प्रारंम मे प्रदान किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष स्नवाई के दौरान निर्धारिती-कंपनी की ओर से उपस्थित महाधिवका द्वारा यह कहा गया कि वास्तव में उक्त निर्णय के खिलाफ अपील दायर की गई थी, लेकिन वादी ने 27 जुलाई, 1979 के अपने आवेदन द्वारा अनुमति मांगी थी। यदि और जब आवश्यक हो, तो अदालत को कायर्वाही के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमा वापस लेना होगा और ट्रायल न्यायाधीश ने सम तारीख के आदेश द्वारा वादी को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें मांगी गई स्वतंत्रता प्रदान की। जबिक उक्त मुकदमा ट्रायल कोर्ट के समक्ष लम्बीत था, गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड ने भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते ह्ए निर्धारिती-कंपनी के वियुत उपक्रम को खरीदने के लिए एक अधिसूचना जारी की। 8

नवंबर, 1971 को निर्धारिती-कंपनी उक्त नोटीस की वेद्यता को चुनाैती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिका (1972 का विशेष नागरिक आवेदन संख्या 1752) दायर की। उक्त रिट याचिका के लम्बीत रहने के दौरान गुजरात सरकार ने भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 115 (2) के तहत एक आदेश जारी किया. जिसमे 19 नवंबर से निर्धारिती-कंपनी के पट्ेदारी का प्रबधंन अपने हाथ में ले लिया। निर्धारिती-कंपनी के उपक्रम का प्रबंधन संभालने के लिए गोधरा के कलेक्टर को उक्त आदेश 1972 के तहत अधिकृत किया गया था। उक्त रिट याचिका अततः 16-17 अक्टूबर, 1973 के अपने फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया थी। इस न्यायालय में उक्त फैसले के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील में गोधरा के कलेक्टर को निर्देश देते हुए एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया। उपक्रम को गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड सौंपने के लिए और उक्त निर्देश के अनुसार गुजरात सरकार ने 20 दिसंबर, 1973 को गोधरा के कलेक्टर को उपक्रम का प्रबंधन गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया, जो किया गया था। अगले दिन व उसके बाद 4 मई, 1974 काे भारतीय रक्षा नियम, 1971 के नियम 115 (2) के तहत जारी अधिसूचना रद्द कर दि गई।

निर्धारण वर्ष 1963-64 तक निर्धारिती-कंपनी का मूल्यांकन व्यापारिक प्रणाली के अनुसार रखे गए खातों के आधार पर किया गया था। बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए, यानी, 1964-65 से 1967-68 तक,

निर्धारिती-कंपनी ने विद्युत उर्जा की बिक्री के सम्बधं में कुल कमाई से रू. 10, 87, 828 कुल राशि इस आधार पर काट ली की उक्त राशि वास्तव में उपभोक्ताेओं से वसूल नहीं की गई थी।जब से उपभोक्ताओं ने निर्धारिती-कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और उसके आधार पर अंतरिम राहत मिली थी। उपरोक्त चार निर्धारण वर्ष के लिए की गई कटौती का विवरण इस प्रकार था।

विभाजन वर्ष	कटौती की गई राशि
1964-65	Rs. 2, 59, 777
1965-66	Rs. 3, 16, 953
1966-67	Rs. 3, 89, 761
1967-68	Rs. 1, 21, 337

उपरोक्त विवादित रकम निर्धारिती कम्पनी द्वारा दर्शाई गई थीं,

बैलंस शीट में "विवादित" शीर्षक के तहत देयता पक्ष पर निर्धारिती कम्पनी द्वारा ग्राहकों (उपभोक्ता) से ली जाने वाली दरों में वृद्धि, जिला न्यायालय में विवादों का निपटारा तक आगे बडा दी गई । आकलन वर्ष में 1968-69 निपटारे के कारण 3, 54, 152 रुपये की दावा राशि का समायोजन हुआ। रेलवे अधिकारियों के साथ विवाद और विवादित शेष राशि

घटाकर रु. ७, ३३, ६७६ हो गई। निर्धारण वर्ष 1969-७० के लिए मूल्यांकन करते समय आयकर अधिकारी ने 7, 33, 676 रुपये की उक्त राशि को इस आधार पर शामिल किया कि मुकदमा दायर किया गया। उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारिती-कंपनी के खिलाफ लेखांकन वर्ष 1968-69 के दाैरान इस न्यायालय द्वारा के पक्ष में निर्णय लिया गया था और करदाता कम्पनी को उक्त राशि की वसूली करने और लेखांकन के आधार पर कानूनी अधिकार हे, इसके बाद निर्धारिती-कंपनी को 7, 33, 676 रूपये की राशि पर कर निर्धारण वर्ष 1969-70 में इस न्यायालय के फैसले के कारण निर्धारिती-कंपनी को हुई आय के रूप में कर देना होगा। हालाँकि, आयकर अधिकारी द्वारा किया गया जोड अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा हटा दिया गया था, यह देखते हुए की पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती-कंपनी के पास कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य यह विचार कि निर्धारिती को कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य दावा प्राप्त नहीं हुआ था। जिसके द्वारा वह बकाया पिछले वर्ष की तुलना मे जो प्रेरक शक्ति एवं बिजली के संबंध में बढ़े हुए शुल्कों/दरों के लिए पिछले वर्ष की तुलना मे वसूल कर सके। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित), आगे की अपील पर, यह माना गया कि उचित रिर्टन तय करने का प्रश्न अभी भी एक खुला मुद्दा था। क्योंकि यह आगे की मुकदमेबाजी का विषय था, जिसके परिणामस्वरूप सिविल जज, जूनियर डिवीजन, गोधरा के फैसले में निर्धारिती-कंपनी को उपभोक्ताओं से रोशनी

और पंखों के लिए 31 पैसे प्रति इकाई और प्रेरक शक्ति के लिए 20 पैसे प्रति इकाई से अधिक शुल्क की वस्ली करने से रोक दिया गया था और वह बढ़ी हुई दरों को प्राप्त करने का अधिकार स्पष्ट नहीं था। न्यायाधिकरण के अनुसार निर्धारिती-कंपनी द्वार बढ़ी हुई दरों पर दावा किया गया था और जिसके आधार पर पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां की गई थी, केवल काल्पनिक आय का प्रतिनिधित्व किया गया था और आयकर अधिकारी द्वारा कर के लिए लाई गई विवादित राशि का प्रतिनिधित्व किया गया था। उस आय का प्रतिनिधित्व नहीं किया जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती-कंपनी को अर्जित हुई थी। राजस्व के एक आवेदन पर न्यायाधिकरण ने गुजरात उच्च न्यायालय की राय के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित किया-

"क्या न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि 7, 33, 676 ने रुपये की राशि जो पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती को अर्जित हुई थी, और जिसे आयकर अधिकारी द्वारा कर के दायरे में लाया गया था, वह आय का प्रतिनिधित्व नहीं करती और इसलिए, निर्धारिती की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सका?

उक्त संदर्भ के आधार पर आयकर संदर्भ संख्या 288 सन् 1975 उच्च न्यायालय में पंजीकृत किया गया।

इसी प्रकार पिछले वर्ष 1970-71 और 1971-72 की संपितयों के संबंध मे आयकर अधिकारी ने रुपये की राशि शामिल की। क्रमशः रू. 2, 63, 465 और रु. 2, 98, 077 आय के रूप में जो उन वर्षों में निर्धारिती-कंपनी को अर्जित हुई थी और कर योग्य थी।निर्धारिती-कंपनी की अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा उक्त जोड को हटा दिया गया था और न्यायाधिकरण द्वारा उक्त निर्णय को बरकरार रखा गया था। राजस्व द्वारा दायर आवेदन पर कानून के निम्नलिखित प्रश्न को उसकी राय के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया थाः

"क्या न्यायाधिकरण कानूनी रूप से यह मानने में सही था कि आकलन वर्ष 1970-71 के लिए राशि 2, 63, 465 रू. और वर्ष 1971-72 के लिए 2, 98, 077 रू. की राशि जो पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती को प्राप्त हुई थी जो आयकर अधिकारी द्वारा कर के दायरे में लाया गया था, जो निर्धारिती की आय का प्रतिनिधीत्व नहीं करता था और इसलिए निर्धारिती की कुल आय की गणना में शामिल होने के लिए उत्तरदायी नहीं है?"

उक्त संदर्भ के आधार पर आयकर संदर्भ संख्या 73 सन् 1978 को उच्च न्यायालय में पंजीकृत किया गया।

निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए आयकर अधिकारी ने रुपये 3, 17, 741 की राशि शामिल की जो आय के रूप में अर्जित एवं और कर योग्य थी।

निर्धारिती कंपनी के हाथ, जिसे अपील-दिवंगत सहायक आयुक्त द्वारा हटा दिया गया था और अपीलीय सहायक आयुक्त के उक्त आदेश को न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया था। निम्नलिखित प्रश्न न्यायाधिकरण द्वारा राय के लिए उच्च न्यायालय को भेजे गये थेः

- 1. "क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यह मानने मे सही था कि 3, 17, 741 रूपये की राशि जो पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती को अर्जित हुई थी और जिसे आयकर अधिकारी द्वारा कर के दायरे मे लाया गया था वह आय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और इसलिए इसे निर्धारिती की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है?"
- "क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के
 आधार पर रूपये की प्राप्ती हुई है। प्रश्नगत निर्धारण वर्ष मे

निर्धारिती की आय के रूप में 3, 17, 741 रूपये पर कर लगाया जा सकता है?"

उक्त संदर्भ के आधार पर, आयकर सन् 1978 के संदर्भ सं. 171 को उच्च न्यायालय में पंजीकृत किया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा तीनों संदर्भों का निस्तारण सामान्य निर्णय दिनांक 24-25 फरवरी, 1982 के द्वारा कर दिया गया।उच्च न्यायालय एक निर्धारिती-कंपनी के लेखा की व्यापारिक प्रणाली का पालन कर रही थी और वह भी इस प्रणाली के तहत निर्धारिती-कंपनी का दौरा करने के लिए कर का भ्गतान करने की बाध्यता के साथ लाभ वास्तव में देय होना चाहिए, इससे कोई फर्क नही पडता कि यह कब प्राप्त हुआ है और उस नहीं कहा जा सकता है कि आय अर्जित हुई है। किसी निर्धारिती-कंपनी के लिए यदि वह केवल एक दावे पर आधारित है जो किसी के द्वारा समर्थित नहीं है। अगली तारीख पर राशि प्राप्त करने का कानूनी या संविदात्मक अधिकार। उच्च न्यायालय ने माना है कि लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली में यह वास्तविक है, जो काल्पनिक आय से अलग, जिसे कर के दायरे मे लाया जा सकता है। निर्धारिती-कंपनी की लेटर्स पेटेंट अपीलों को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को देखते हुए

जिस निर्णय की इस न्यायालय ने 26 फरवरी, 1969 को पुष्टि की थी उच्च न्यायालय ने माना है कि निर्धारिती-कंपनी के पास कानूनी अधिकार थे। गुजरात सरकार, उद्याेग, खान और बिजली विभाग के अवर सचिव का 19 मार्च 1969 का पत्र, उच्च न्यायालय ने कहाः

''हमे नहीं पता कि क्या यह पत्र, निर्धारिती के लिए एक निर्देश था। कानून का कोई भी प्रावधान लेकिन किसी भी मामले में यह एक सुझाव के रूप में था, जिसे स्वीकार किये जाने पर, केवल छः महीने की अवधि के लिए सुनिश्चित किया जाता था। इसलिए, महाधिवक्ता का यह तर्क था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उपभाेक्तओ द्वारा दायर अपीलो को खारिज करने के कुछ दिनों के भीतर निर्धारिती को प्राप्त इस पत्र के मचेनजर यह नही कहा जा सकता है कि करदाता को आय अर्जित हुई है, हमसे अपील नही करता । किसी भी स्थिती मे, राज्य सरकार द्वारा किया गया अनुरोध केवल छह महीन की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का था। उस पत्र ने निर्धारिती से उसके उपभाेक्तओं से बढी हुई दरों पर उपभोग शुल्क वसूलने का अधिकार नही छीना"।

जहां तक प्रतिनिधि वाद (1969 का वाद सं. 118) का संबंध है, जो उपभोक्ताओ द्वारा गोधरा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया था, उच्च न्यायालय ने देखा कि "उक्त मुकदमा 31 मार्च 1969 के बाद की अवधि, उससे पहले कि नहीं"

निर्धारिती-कंपनी की ओर से आग्रह कि गई इस दलील को खारिज कर दिया कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारिती-कंपनी को कोई वास्तविक आय अर्जित नहीं हुई क्योंकि निर्धारिती-कंपनी कान्ती रूप से उपभाेक्तओं से उपभोग शुल्क की वस्त्तने की हकदार है। बढी हुई दरें और किसी भी समय निर्धारिती-कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से बढी हुई दरें वस्त्तने का अधिकार छोडा या छोडा नहीं। मामले के उस दृष्टिकोण पर, उच्च न्यायालय ने उपरेक्त उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर निर्धारिती-कंपनी के विरूद्ध और राजस्व के पक्ष में दिया। 15 जनवरी, 1983 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील करने के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

निर्धारिती कंपनी की ओर से उपस्थित वकील श्री एस. गणेश, ने प्रस्तुत किया है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह माना जाना चाहिए कि बिजली के लिए बढ़े हुए शुल्क के कारण निर्धारिती-कंपनी कोई वास्तविक आय नहीं हुई ।निर्धारिती-कंपनी 1963 से 1969 की अविध

के दौरान लंबी मुकदमेबाजी और उसके बाद गुजरात सरकार के अवर सचिव 19 मार्च, 1969 के पत्र के कारण उपभोक्ताओं से उक्त बढ़े हुए शुल्क की वसूली करने में सक्षम नहीं थी। निर्धारिती-कंपनी को कम से कम छह महीने के लिए बढ़ी हुई दरे नहीं वसूलनी होगी और 1969 के बाद में उपभोक्ताओं द्वारा दायर मुकदमा (1969 का मुकदमा संख्या 118), भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 115 (2) के तहत पारित आदेश के अनुसरण में कलेक्टर, गोधरा द्वारा निर्धारिती-कंपनी का प्रबंधन का अधिकार लेना। यह आग्रह किया गया है कि हालांकि निर्धारिती-कंपनी व्यापारिक लेखांकन प्रणाली का पालन कर रही थी लेकिन व्यापारिक लेखांकन प्रणाली मे भी वास्तविक आय होने पर ही कर लगाया जा सकता और काल्पनिक आय पर आयकर नहीं लगाया जा सकता। वकील ने आयकर आयुक्त बॉम्बे सिटी-। बनाम मेसर्स शूरजी वल्लभदास एंड कंपनी, (1962) 46 आईटीआर 144, आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल-॥ बनाम बिड़ला ग्वालियर (पी) लिमिटेड, के मामले में इस न्यायालय के निर्णयो पर भरोसा जताया है बिड़ला ग्वालियर (पी) लिमिटेड, (1973) 89 आई. टी. आर. 266; पूना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम सरकार आयुक्त बॉम्बे सिटी-।, (1965) 57 आई. टी. आर. 521, आर. बी. जोधा मल क्ठियाला बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब, (1971) 82 आई. टी. आर. 570 और स्टेट बैंक त्रांवनकोर बनाम आयकर आयुक्त, केरल, (1986) 158 आईटीआर 102

अधिनियम के तहत कर योग्य आय वह आय है जो उस वर्ष से संम्बधीत पिछले वर्ष भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त मानी जाती है, जिसके लिए मुल्याकंन किया जाता है या उस आय पर जो अर्जित होती है या उत्पन्न होती है, या अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है। एेसे वर्ष के दौरान भारत मे एेसी आय की गणना निर्धारिती-कंपनी के द्वारा नियमीत रूप से नियोजीत विधी या लेखांकन के अनुसार की जानी है। यह या तो नकदी प्रणाली हो सकती है जहां प्रविष्टियाँ वास्तविक प्राप्तियों और वास्तविक खर्चों के आधार पर संवितरण की जाती हैं या यह व्यापारिक प्रणाली हो सकती है जहां प्रविष्टियाँ वास्तविक प्राप्तियों और वास्तविक खर्चों के आधार पर संवितरण की जाती हैं या यह व्यापारिक प्रणाली हो सकती है जहाँ प्रविष्टियाँ उपार्जित आधार पर की जाती हैं यानी, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार और उपार्जित के आधार पर प्रविष्टियाँ की जाती हैं। आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी-। बनाम मेसर्स शूरजी वल्लभदास एंड कंपनी (सुप्रा), निर्धारित किया गयाः

"आयकर आय पर लगाया जाने वाला एक कर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयकर अधिनियम के दो बिंदुओं को ध्यान में रखता है जिस समय पर कर दायित्व आकर्षित होता है, अर्थात, आय का संचय या उसकी प्राप्ती लेकिन मामले का सार आय है। अगर आय बिल्कुल नहीं होती है तो कर नहीं लगाया जा सकता है, भले ही बहीखाता में एक काल्पनिक आय के बारे में एक प्रविष्टि की जाती है, जो साकार नहीं होती है। [पी। 148]

यह सिद्धांत लागू होता है चाहे खाते नकद प्रणाली पर रखे जाए या व्यापारिक प्रणाली के तहत। यदि खाते व्यापारिक प्रणाली के तहत बनाए रखे जाते हैं ताे यह देखा जाना चाहिए कि क्या आय वास्तव में निर्धारिती-कंपनी को अर्जित हुई है। एच. डब्ल्यू. काशीपारेख गोधरा इलेक्ट्रीसिटी कं. लिमिटेड बनाम सी आई टी। [एस. सी. अग्रवाल, जे.] & कं. लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त(1960) 39 आई. आई. आर. 706, में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा थाः

फिर भी, (खाता घाटे का उत्पादन करने मे विफलता) हम इस आधार पर आगे बढेगें कि निर्धािरिती कंपनी ने खाते की व्यापारिक प्रणाली का पालन किया और आयोग की राशि के सम्बंध मे लेखांकन वर्ष मे इसकी पुस्तकों मे प्रविषिटया की गई होगी । हमारे निर्णय मे इस मामले मे इस तथ्य को कोई विशेष महत्व देना हमारे लिए उचित नहीं होगा कि कपंनी लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करती है, वास्तविक आय के सिद्धांत को तथ्यों में लागू करने में उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा

उक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त बनाम बिड़ला ग्वालियर (पी) लिमिटेड (ऊपर) में अनुमोदित किया गया था। जहां निर्धािरिती ने व्यापारिक प्रणाली पर अपने खाते बनाए रखे थे, उस मामले में इस ने न्यायालय, मोरवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (1971) 82 आई. आई. आर. 835, जो एक ऐसा मामला था जहां खाते व्यापारिक प्रणाली पर रखे गए थे, फैसले का हवाला देते हुए कहा था;?

"इसिलए यह स्पष्ट है कि मोरवी इंडस्ट्रीज मामले में इस अदालत ने इस तथ्य पर जोर दिया कि निर्णय के लिए वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या वास्तव में आय अर्जित हुई थी या नहीं। यह आय का एक काल्पनिक संचय नहीं है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए लेकिन आय का वास्तविक संचय। [पी। 273]

पूना विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी-। (सुप्रा) इस न्यायालय ने कहा था;

"आय कर वास्तविक आय पर एक कर है, अर्थात आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वाणिज्यिक सिद्धांतों पर प्राप्त लाभ।

उस मामले में बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने एच. एम. काशीपारेख एंड लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (सुप्रा), निर्धारित निम्नलिखित सिद्धांत को मंजूरी दे दी है।

"वास्तविक आय का सिद्धांत इतना अधीनस्थ नहीं होना चाहिए कि प्रबंधन एजेंसी आयोग के संबंध में कोई समर्पण या रियायत मे छूट दी जाती है तो यह वास्तव मे इसे अस्वीकार कर दिया जाए।

वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर सहमती दी गई सिर्फ इसलिए कि यह एक लेखा वर्ष की समाप्ती के कुछ समय बाद होता है। इस प्रकृति के किसी भी लेन-देन और स्थित की जांच करते समय न्यायालय के इसके विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक या सैद्धांतिक पहलू के बजाय स्थिति की वास्तविकता या विशिष्टता पर अधिक ध्यान देना होगा। यह समग्र रूप से देखे गए मामलो के व्यावसायीक पहलू पर अधिक जोर देता है जब वैधानिक भाषा की उपेक्षा किए बिना एेसा किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ ट्रानवाकोर बनाम आयकर आयुक्त, केरल (ऊपर) मामले मे विभिन्न निर्णयो पर विचार करने के बाद, सव्यसाची सी मुखर्जी जे. (जैसा कि उस समय के मुख्य न्ययाधीश थे) ने कहा है:

"कराधान के उद्देश्य से आय की गणना के लिए लेखांकन की पद्वति के साथ वास्तविक आय की धारणा को सहसंबंधित करने का एक स्वीकार्य सूत्र विकसित करना मुश्किल है। इसके अलावा, कोई भी स्ट्रैट-जैकेट सूत्र हर स्थिति में समस्याएं पैदा करने के लिए बाध्य है, यह प्रत्येक स्थिति में इसके अनुप्रयोग मे, इसे प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। आय कब और कैसे अर्जित होती है और आय के उपार्जित से क्या परिणाम होते हैं इसका भी निपटारा किया जाता है। उपार्जित वास्तविक होना चाहिए। स्थिति कि वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उचित मामलों में उपार्जित हुआ है या नहीं, इसका निर्णय वास्तविक आय सिद्धांत के सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। उपार्जित होने के बाद कुछ आचरण के कारण उस पर कर नहीं लगाया

जात है। किसी विशेष निर्धारिती के अप्रत्यक्ष निर्णय पर प्रश्न का निर्धारण करना कि क्या यह काल्पनिक आय है या वास्तविक आय हुई है या नहीं, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा। वास्तविक आय की अवधारणा का विस्तार सभी मामलों में करना मुश्किल और अनुचित होगा, जो निर्धारिती के अप्रत्यक्ष निर्णय पर निर्भर करता है जो तब केवल एक मूल्य निर्णय बन जाएगा। निर्धारिती को वास्तव में क्या अर्जित हुआ है, इसका पता लगाना होगा और जो अर्जित हुआ है, उस पर वास्तविक आय के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। यथार्थवादी तरीके से प्राप्ति की सभावंना या असंभवता ध्यान मे रखना चाहिए और इन कारकों को एक साथ जोड़ना चाहिए लेकिन एक बार संचय होने के बाद, उपार्जित आय को समाप्त करने के वर्ष के बाद पक्षों के आचरण पर 'कोई आय' नहीं बनाया जा सकता है। [पी। 154]

यदि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में मामले की जांच की जाती है, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि भले ही निर्धारिती-कंपनी लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का पालन कर रही थी और उपभोक्ताओं को की गई आपूर्ति के लिए बढ़े हुए शुल्कों के संबंध में पुस्तकों में प्रविष्टियां की थीं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जल्द ही उन बढ़े हुए शुल्कों के संबंध में निर्धारिती-कंपनी को कोई वास्तविक आय अर्जित नहीं हुई थी। निर्धारिती के बाद-कंपनी ने 1963 में

दरों को बढाने का फैसला किया। 1963 का 152 और 1964 का 50) उपभोक्ताओं द्वारा दायर किए गए थे जो निचली अदालत द्वारा घोषित किए गए थे और किस डिक्री की पृष्टि अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की गई थी और यह केवल 3 दिसंबर, 1968 को है कि निर्धारिती-कंपनी द्वारा दायर पत्र पेटेंट अपील को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा अनुमित दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उक्त मुकदमा को खारिज कर दिया। लेकिन इस न्यायालय में उपभोक्ताओं द्वारा उक्त निर्णय के खिलाफ अपील दायर की गई थी और इन्हें 26 फरवरी, 1969 के इस न्यायालय के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद, 19 मार्च, 1969 को गुजरात सरकार के अवर सचिव ने एक पत्र लिखा जिसमें निर्धारिती-कंपनी को कम से कम छह महीने तक उपभोक्ताओं के लिए दरों की यथास्थिति बनाए रखने की सलाह दी गई और मुख्य विद्युत निरिक्षक को साल दर साल करदाता कम्पनी के खोतो की जांच करने और रिपोर्ट करने के निर्देश दिये। निर्धारिती-कंपनी द्वारा अर्जित उचिन रिटर्न एवं वास्तविक स्थिती के बारे में सरकार, 16 मई, 1969 को उपभाेक्ओ के द्वारा एक और प्रतिनिधि मुकदमा(मुकदमा नम्बर 118, 1969) दायर किया, जिसमे न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी और जिसे अंततः 23 जून, 1974 को उपभाेक्तओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इस प्रकार एेसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती-कंपनी द्वारा शुल्क बढाने का निर्णय लेने के बाद, गुजरात सरकार के अवर सचिव के पत्र के बाद उपभाेक्तओं के

पहले के प्रतिनिधि मुकदमें के लम्बीत होने के कारण यह बढे हुए शुल्क को एहसास करने मे सक्षम नही था। उपभोक्ता और उक्त उपक्रम के लंबित रहने के दौरान निर्धारिती की कंपनी को भारत के रक्षा नियम, 1971 के तहत गुजरात सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और गुजरात विद्युत बोर्ड उपक्रम को बाद मे गुजरात सरकार में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुजरात सरकार के अवर सचिव द्वारा निर्धारिती-कंपनी को संबोधित पत्र में कानूनी रूप से कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं था, लेकिन चीजों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना होगा।[देखिएः आर. बी. जोधा मल क्ठियाला बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब (ऊपर)]। निर्धारिती-कंपनी, एक लाइसेंसधारी होने के नाते, राज्य सरकार के निर्देश को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी जो एक सलाह के रूप में तैयार किया गया था। जिसके तहत निर्धारिती-कंपनी को यथास्थिति को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। कम से कम छह महीने के लिए और इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से बढ़े हुए शुल्क बकाया की वसूली के लिए कदम नही उठाए। छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले उपभोक्ता द्वारा अगला मुकदमा दायर किया गया था और उक्त मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निर्धारिती कंपनी का उपक्रम को भारत के रक्षा नियम, 1971 के तहत गुजरात सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और बाद मे ग्जरात राज्य विद्युत बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया और

परिणामस्वरूप निर्धारिती कंपनी बढ़े हुए शुल्क की वसूली के लिए कदम उठाने की स्थिति में नहीं थी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि 16 मई, 1969 के बाद दायर किया गया मुकदमा जो 31 मार्च, 1969 के बाद की अवधि के लिए बढ़े हुए शुल्क की वसूली से संबंधित था, न कि उससे पहले। हालांकि, उसने उक्त मुकदमे मे संयुक्त न्यायाधीश (जुनियर डिवीजन) गोधरा दिनांक 20 जून, 1974 को फैसले का अध्यन किया, उक्त मुकदमे में जिसे इस रूप में संलग्न किया गया था। उक्त निर्णय यह नही दर्शाता है कि मुकदमा 31 मार्च 1969 के बाद की अवधि तक ही सीमित था, दूसरी ओर यह दर्शाता है कि उस मुकदमें में वादी 1963 में किए गए आरोपों में वृद्वी को चुनौती दे रहे थे, एक घोषणा यह थी कि निर्धारिती-कंपनी लाइट और पंखों के लिए 31 पैसे प्रति यूनिट और प्रेरक शक्ति 20 पैसे प्रति यूनिट से अधिक वसूली करने की हकदार नहीं थी और निम्न अदालत ने उक्त मुकदमे मे फैसला सुनाते हुए इन शर्तो मे एक घोषणा की थी। उक्त घोषणा 31 मार्च, 1969 के बाद की अवधि तक ही सीमित नही है।

यह प्रश्न कि क्या निर्धारिती-कंपनी को बिजली आपूर्ति के लिए बढ़े हुए शुल्क के संबंध में आय का वास्तविक संचय था, प्राप्ति की संभाव्यता या असंभाव्यता को यथार्थवादी तरीके से लेते हुए बिजली पर विचार किया जाना चाहिए। यदि मामले को इस दृष्टि से दरिकनार किया जाता है, तो यह कहना संभव नहीं है कि बिजली की आपूर्ति के लिए बढ़े हुए शुल्क के संबंध में निर्धारिती-कंपनी को आय का वास्तविक संचय हुआ था, जिसे आयकर अधिकारी ने निर्धारण वर्षों के संबंध में मूल्यांकन आदेश पारित करते समय जोड़ा था। विचाराधीन निर्धारण वर्षों के सबंध में अपीलीय सहायक आयुक्त ने आयकर अधिकारी द्वारा की गई उक्त वृद्धि को हटाने में सही था और न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया था कि निर्धारिती-कंपनी द्वारा की गई बढ़ी हुई दरों पर दावा, जिसके आधार पर आवश्यक प्रविष्टियां की गई थीं, केवल काल्पनिक आय का प्रतिनिधित्व किया गया और आयकर अधिकारी द्वारा कर में लाई गई विवादित राशि गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है जो वास्तव में निर्धारिती को पिछले छः वर्षों में अर्जित हुई थीं, हमारी राय में उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के उक्त दृष्टिकोण को खारिज करने में गलती की थीं।

परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमित दी जाती है, उच्च न्यायालय के आपेक्षित फैसले को दरिकनार कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण द्वारा राय के लिए भेजे गए प्रश्नों के जवाब निर्धारिती-कंपनी के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ दिया जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में, लागत के सबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

सीआईटी बनाम शूरजी वल्लभदास एंड कंपनी, (1962) 46 आई. टी. आर. 144

सी. आई. टी. बनाम बिड़ला प्रा. लि.(1973) 89 आई. टी. आर. 266

पूना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त बाॅम्बे शहर प्रथम आईटी, (1965) 57 आईटीआर 521

एच. एम. काशीपारेख एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1960) 39 आई. टी. आर. 706 (बम)

मोरवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1971) 82 आई. टी. आर. 835

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम सी. आई. टी., (1986) 158 आई. टी. आर. 102[553-जी-एच, 554-ए-बी]

आर. बी. जोधा मल कुठियाला बनाम सीआईटी।(1971) 82 आई. टी. आर. 570

जिंदास ऑयल मिल एंड अन्य बनाम गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कं., [1969] 3 एससीआर 836

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार शर्मा (आर. जे. एच. एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उचेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारीक उचेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी सस्कंरण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उचेशय से भी अंग्रेजी सस्कंरण ही मान्य होगा।